प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

डब्ल्यूपी (227) सं. 22/2019

1. प्रेमलाल खांडे, पिता श्री भुखन लाल, आयु लगभग 56 वर्ष, निवासी– मेडिकल कॉलेज कटघोरा के पास, थाना व तहसील– कटघोरा, जिला– कोरबा, छत्तीसगढ़।
2. सतीश कुमार खांडे, पिता श्री भुखन लाल, आयु लगभग 54 वर्ष, निवासी– मेडिकल कॉलेज कटघोरा के पास, थाना व तहसील– कटघोरा, जिला– कोरबा, छत्तीसगढ़।

––– याचिकाकर्तागण

विरूद्ध

अशोक लीलैंड फाइनेंस, वर्तमान में इंडसइंड बैंक के रूप में संचालित, शाखा कार्यालय ट्रांसपोर्ट नगर, थाना– कोरबा, जिला– कोरबा, छत्तीसगढ़।

–––– प्रतिवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ताओं की ओर से : श्री मुकेश शर्मा, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से : श्री चेतन सिंह चौहान, अधिवक्ता

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेन्द्र चंद्र सिंह सामंत
पीठ पर आदेश

19/07/2021

1– प्रस्तुत याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर की गई है, जिसमें जिला न्यायाधीश, कोरबा द्वारा निष्पादन प्रकरण क्र० 6/2011 में पारित दिनांक 03.11.2018 को निरस्त करने और याचिकाकर्ता सं. 1 के दावों को

अन्य लंबित निष्पादन कार्यवाही में मुजरा करने का निर्देश जारी करने का अनुतोष चाहा गया है।

2– मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उत्तरवादी एक वित्तीय कंपनी है। याचिकाकर्ता क्र० 1 ने वाहन क्रय के लिए अनुबंध सं. पीबी001613 एच के माध्यम से प्रतिवादी से ऋण लिया था जिसमें याचिकाकर्ता क्र० 2 प्रतिभू है। याचिकाकर्ता क्र० 1 द्वारा क्रय किया गया वाहन चोरी हो गया, जिसे बाद में बरामद कर याचिकाकर्ता क्र० 1 को सुपुर्दनामा पर प्रदान कर दिया गया, जिसके पश्चात् उत्तरवादी ने दिनांक 19.04.2006 को याचिकाकर्ता क्र० 1 से वाहन को अपने कब्जे में ले लिया और याचिकाकर्ताओं को बिना सूचना दिये विक्रय कर दिया। जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कोरबा में शिकायत दर्ज कराई। उत्तरवादी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कोरबा के समक्ष लंबित कार्यवाही की जानकारी छिपाकर एक माध्यस्थम् कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी। उक्त माध्यस्थम् कार्यवाही एकपक्षीय पंचाट दिनांक 22.07.2008 के द्वारा समाप्त कर दी गयी। उत्तरवादी ने उक्त पंचाट दिनांक 22.07.2008 के निष्पादन के लिए माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (जिसे इसके पश्चात "1996 के अधिनियम" से संदर्भित किया जा रहा है) की धारा 36 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3– याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रकरण क्र० सी०सी०/49/2006 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कोरबा द्वारा दिनांक 04.03.2014 को खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश को याचिकाकर्ताओं ने राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायपुर के समक्ष अपील एफ०ए० /14/227 के माध्यम से चुनौती दी, जिसे दिनांक 25.07.2015 को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में स्वीकार करते हुए निराकृत किया गया और उत्तरवादी को निर्देशित किया गया कि क्षतिपूर्ति और हर्जाना अदा किया जावे।

4– इसके बाद उत्तरवादी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नई दिल्ली के समक्ष पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की, जो पुनरीक्षण याचिका क्र० 3209/2015 के रूप में पंजीकृत की गयी है और वर्तमान में लंबित है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि पंचाट की संपूर्ण राशि जमा कराई

जावे, जिसे पुनरीक्षण याचिका के निपटारे तक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा में सुरक्षित रखा जावे। याचिकाकर्ताओं ने माध्यस्थम् पंचाट को अपास्त करने के लिए भी याचिका दायर की और 1996 के अधिनियम की धारा 36 (2) के तहत एक आवेदन प्रस्तुत कर माध्यस्थम् पंचाट पर स्थगन आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की गई, जिस पर विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया है।

5– याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि निष्पादन हेतु दो पंचाट प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ताओं के विरूद्ध प्रस्तुत माध्यस्थम् पंचाट को अपास्त करने का आवेदन लंबित है, इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा माध्यस्थम् पंचाट की निष्पादन कार्यवाही पर स्थगन आदेश प्रदान किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायपुर द्वारा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में क्षतिपूर्ति एवं हर्जाना स्वीकृत किया गया है और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के आदेशानुसार सावधि जमा में सुरक्षित रखा गया है, जिसे याचिकाकर्ताओं के विरूद्ध पंचाट के निष्पादन में मुजरा किया जा सकता है। अतः समुचित आदेश पारित करने हेतु प्रार्थना की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6– उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत याचिका और इस संबंध में किए गए तर्कों का विरोध किया है। यह व्यक्त किया गया है कि उत्तरवादी के पक्ष में माध्यस्थम् पंचाट दिनांक 22.07.2008 का है और पंचाट के निष्पादन की कार्यवाही दिनांक 17.02.2011 से लंबित है। याचिकाकर्ताओं ने एमजेसी क्र० 112/2018 के रूप में पंजीकृत निष्पादन कार्यवाही में उपस्थित होने की दिनांक से लगभग पांच वर्ष पश्चात 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है, इस कारण 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रस्तुत उक्त आवेदन स्पष्ट रूप से समयावधि बाह्य है। 1996 के अधिनियम की धारा 36 (2) में यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित किया गया है कि 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन प्रस्तुत करने मात्र से पंचाट स्वमेव अप्रवर्तनीय नहीं हो जाएगा, जब तक कि न्यायालय द्वारा ऐसे माध्यस्थम् पंचाट के प्रर्वतन पर स्थगन आदेश जारी न किया गया हो, इसलिए विद्वान निष्पादन न्यायालय ने 1996 के अधिनियम की धारा 36 (2) के तहत याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर सशर्त स्थगन आदेश

पारित करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अतः प्रार्थना है कि याचिका को खारिज किया जाए।

7– मेरे द्वारा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

8– विद्वान निष्पादन न्यायालय ने सशर्त आक्षेपित आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्तओं को निर्देशित किया है कि निष्पादन कार्यवाही इस शर्त पर स्थगित रहेगी कि उनके द्वारा 2.00 लाख रूपये की राशि जमा की जावेगी। ऐसी जमा राशि जमा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

9– 1996 के अधिनियम की धारा 36 (2) एवं (3) के अंतर्गत प्रावधान प्रासंगिक हैं, जिन्हें निम्नानुसार उद्धृत किया जा रहा है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "36. प्रवर्तन.–
>
> (1)xxxxxxx
>
> (2) जहां माध्यस्थम् पंचाट को अपास्त करने के लिए कोई आवेदन न्यायालय में धारा 34 के अधीन फाईल किया गया है, वहां ऐसे किसी आवेदन के फाईल किये जाने से ही वह पंचाट तब तक अप्रर्वतनीय नहीं हो जायेगा जब तक की न्यायालय उस प्रयोजन के लिए किये गये किसी पृथक आवेदन का उपधारा(3) के उपबंधों के अनुसार उक्त माध्यस्थम् पंचाट के प्रवर्तन पर कोई रोकादेश नहीं देता है ।
>
> (3) न्यायालय, माध्यस्थम् पंचाट के प्रवर्तन पर रोक लगाने के लिए उपधारा(2) के अधीन कोई आवेदन फाईल किये जाने पर, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणो से ऐसे पंचाट के प्रवर्तन पर रोक मंजूर कर सकेगा,
>
> परन्तु न्यायालय, धन के संदाय संबंधी माध्यस्थम् पंचाट के मामले में रोक मंजूर करने संबंधी आवेदन पर विचार करते समय, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के उपबंधों के

अधीन धन संबंधी किसी डिक्री पर रोक मंजूर किए जाने संबंधी उपबंधों का सम्यक ध्यान रखेगा।

10– 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन दायर करने के पश्चात, निष्पादन न्यायालय को 1996 के अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत शर्तें अधिरोपित कर स्थगन आदेश पारित करने की शक्तियां प्राप्त है। विद्वान निष्पादन न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्त अनुचित या अकारण प्रतीत नहीं होती है। यद्यपि याचिकाकर्ताओं ने राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष समानांतर कार्यवाहियों में सफलता प्राप्त की है, किन्तु उक्त आदेश राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष चुनौती के अधीन है, इसलिए जब तक उक्त आदेश अंतिम नहीं हो जाता है, तब तक याचिकाकर्ताओं की मुजरा किये जाने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं द्वारा निष्पादन कार्यवाही में अंतरिम राहत मांगी गयी थी, जो कि उन्हें सशर्त प्रदान की गयी है और जो विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रतीत होती है, इसलिए आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11– अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार वर्तमान याचिका में कोई सार न होने के कारण समावेदन स्तर पर ही खारिज की जाती है।

सही/–
(राजेंद्र चंद्र सिंह सामंत)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**